<u>संघ लोक सेवा आयोग</u>

नोटिस

सम्मिलित अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड 'ख'/ग्रेड-I) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2015

नई दिल्ली, दिनांक 21जुलाई 2015

सं.फा. 9/1/2015-प.1(ख) – भारत के राजपत्र दिनांक **21जुलाई , 2015** में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित नियमावली के अनुसार नीचे पैरा 2 में उल्लिखित सेवाओं के अनुभाग अधिकारी ग्रेड तथा आशुलिपिक ग्रेड-I/ ग्रेड 'ख' की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई और नागपुर में 17 अक्तूबर **2015** से एक सम्मिलित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जायेगी।

आयोग उक्त परीक्षा के आयोजन से संबंधित उपर्युक्त केन्द्रों तथा तारीखों में अपने विवेकानुसार परिवर्तन कर सकता है। यद्यपि उम्मीदवारों को उक्त परीक्षा के लिए उनकी पसन्द के केन्द्र देने के सभी प्रयास किए जायेंगे तो भी आयोग परिस्थितिवश किसी उम्मीदवार को अपने विवेक से अलग केन्द्र दे सकता है। जिन उम्मीदवारों को उक्त परीक्षा में प्रवेश दिया जाता है उन्हें समय-सारणी तथा परीक्षा-स्थल अथवा परीक्षा-स्थलों की जानकारी दे दी जायेगी। <u>यह नोट किया जाए कि आशुलिपिक (ग्रेड 'ख'/ग्रेड-I) श्रेणियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को केवल दिल्ली केन्द्र पर लिखित परीक्षा और आशुलिपिक परीक्षा देनी होगी</u>।

2. इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर जिन सेवाओं में भर्ती की जानी है उनका विवरण निम्नानुसार है। तथापि, चूंकि विभिन्न वर्गों में भरी जानी वाली रिक्तियों की संख्या को संबंधित संवर्ग नियंत्रणाधीन प्राधिकारियों द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया है, अतएव रिक्तियों के बारे में कोई जानकारी इस स्तर पर नहीं दी जा सकती।

वर्ग I केन्द्रीय सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड

वर्ग II भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' के सामान्य संवर्ग का अनुभाग अधिकारी ग्रेड (समेकित ग्रेड II और III)

वर्ग III रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड

वर्ग IV केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का निजी सचिव ग्रेड

वर्ग V भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' के आशुलिपिक संवर्ग का ग्रेड-I

वर्ग VI सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा का विलयित ग्रेड 'क' तथा 'ख'

वर्ग VII	रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ख'

वर्ग VIII	आसूचना ब्यूरो का अनुभाग अधिकारी ग्रेड

वर्ग IX	कर्मचारी राज्य बीमा निगम में निजी सचिव ग्रेड

3. **जो उम्मीदवार सेवा के एक से अधिक वर्गों के लिए पात्र हैं तथा दोनों के लिए प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं, वे केवल एक ही आवेदन पत्र भेजें।**

विशेष ध्यान दें - उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र में उस वर्ग/उन वर्गों का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए जिनके लिए वे प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं। दो वर्गों के लिए प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र में उन दोनों वर्गों का वरीयताक्रम में उल्लेख करना चाहिए। किसी उम्मीदवार द्वारा उसके आवेदन पत्र में एक बार दर्शाई गई वरीयता में कुछ जोड़ने/परिवर्तन करने के किसी भी अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

4. आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख

उम्मीदवारों को संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट (www.upsc.gov.in) पर अपना आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन भरना होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने के लिए विस्तृत अनुदेश संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए आवेदन प्रपत्र की एक मुद्रित प्रति अपने विभागाध्यक्ष/कार्यालय अध्यक्ष के मार्फत आयोग को भेजी जाए। आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र 21जुलाई, 2015 से 7 अगस्त, 2015 तक (रात्रि 11.59 बजे तक) भरे जा सकते हैं, उसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। उचित माध्यम से आयोग कार्यालय में आवेदन प्रपत्र की मुद्रित प्रति की प्राप्ति की अंतिम तिथि 22 अगस्त, 2015 है। पूरी तरह से भरे हुए, आवेदन प्रपत्रों जो विभागाध्यक्ष/कार्यालय अध्यक्ष द्वारा विधिवत् प्रमाणित/सत्यापित हों, की मुद्रित प्रति अवर सचिव (प-VI) संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069 को निर्धारित तारीख तक या उससे पहले पहुंच जाए।

इस परीक्षा में प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों के ई-प्रवेश पत्र इस परीक्षा के आरंभ होने की तारीख से तीन सप्ताह पहले संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट (www.upsc.gov.in) पर अपलोड कर दिए जाएंगे और इन्हें पात्र उम्मीदवारों द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है। आयोग द्वारा कागजी प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों के पास डाउनलोड किया गया ई-प्रवेश पत्र नहीं होगा, उन्हें परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में अपना वैध और सक्रिय ई-मेल आईडी देना अपेक्षित है क्योंकि आयोग उनसे संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग कर सकता है।

टिप्पणी : इस परीक्षा में प्रवेश के लिए केवल उन्हीं उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा जिनके ऑनलाइन आवेदन प्रपत्रों की मुद्रित प्रति उनके विभाग/कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अग्रेषित किए गए हों। वे यह भी नोट करें कि आयोग उनका आवेदन-पत्र प्राप्त न होने अथवा किन्हीं अन्य कारणों से

विलम्ब से प्राप्त होने के लिए किसी भी परिस्थिति में उत्तरदायी नहीं होगा। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद उचित माध्यम द्वारा आयोग कार्यालय में प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन प्रपत्र की प्रति पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जायेगा और विलम्ब से प्राप्त होने वाले सभी आवेदन प्रपत्रों को तुरन्त अस्वीकार कर दिया जाएगा। अतः वे यह सुनिशिचत कर लें कि संगत प्रविष्टियों के सत्यापन एवं आवेदन प्रपत्र के अंत में दिए गए पृष्ठांकन को पूर्ण करने के पश्चात् उनके विभाग अथवा कार्यालय अध्यक्ष द्वारा उनके आवेदन प्रपत्र अग्रेषित कर दिए जाएं ताकि वे निर्धारित अंतिम तिथि तक अथवा उसके पहले आयोग के कार्यालय में पहुंच जाएं।

टी.सी. नौलक
अवर सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

<u>अनुबंध</u>

उम्मीदवारों को अनुदेश

1. उम्मीदवारों को चाहिए कि वे आवेदन-पत्र भरने से पहले नोटिस और नियमावली को ध्यान से पढ़ कर देख लें कि वे परीक्षा में बैठने के पात्र हैं या नहीं। निर्धारित शर्तो में छूट नहीं दी जा सकती है।

आवेदन-पत्र भेजने से पहले उम्मीदवार को नोटिस के पैरा 1 में दिए गए केन्द्रों में से किसी एक को, जहां वह परीक्षा देने का इच्छुक हो, अंतिम रुप से चुन लेना चाहिए।

यदि कोई उम्मीदवार आयोग द्वारा उसके प्रवेश प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट केन्द्र को छोड़कर किसी अन्य केन्द्र पर परीक्षा में बैठता है तो ऐसे उम्मीदवार के उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केन्द्र में परिवर्तन से संबद्ध अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए पात्रता की सभी शर्ते पूरी करते हैं। परीक्षा के उन सभी स्तरों, जिनके लिए आयोग ने उन्हें प्रवेश दिया है अर्थात् लिखित परीक्षा अथवा सेवा अभिलेख मूल्यांकन, में उनका प्रवेश पूर्णत: अनंतिम होगा तथा उनके निर्धारित पात्रता की शर्तो को पूरा करने पर आधारित होगा। यदि लिखित परीक्षा तथा सेवा अभिलेख मूल्यांकन के पहले या बाद में सत्यापन करने पर यह पता चलता है कि वे पात्रता की किन्हीं शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

3. परीक्षा के लिए प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा में प्रवेश के समय ई-प्रवेश प्रमाण पत्र सहित अपने कार्यालय का पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

4. उम्मीदवार यह भी सुनिश्चित कर लें कि सभी स्थानों अर्थात् उनके आवेदन प्रपत्र, उपस्थिति सूची तथा आयोग के साथ किए गए समस्त पत्र व्यवहार में उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर समरूप होने चाहिए और इनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। यदि विभिन्न स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षरों में कोई अंतर पाया जाता है तो आयोग द्वारा उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

5. उम्मीदवार को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आयोग द्वारा आवेदन प्रपत्र में उनके द्वारा की गई प्रविष्टियों को बदलने के लिए कोई पत्र आदि स्वीकार नहीं किया जायेगा। चूंकि आवेदन-प्रपत्रों पर कंप्यूटीकृत प्रणाली द्वारा कार्रवाई की जाती है इसलिए उन्हें आवेदन प्रपत्र सही रुप से भरने के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

6. उम्मीदवार को अपने ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की मुद्रित प्रति संबंधित विभाग अध्यक्ष या

कार्यालय के अध्यक्ष की मार्फत ही भेजनी चाहिए जो संगत प्रविष्टियों का सत्यापन करके आवेदन प्रपत्र के अंत में दिए गए पृष्ठांकन को भर कर आयोग को अग्रेषित करेगा।

7. परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उम्मीदवार, को संघ लोक सेवा आयोग से कोई यात्रा भता पाने के हकदार नहीं हैं।

8. आवेदन प्रपत्र से संबद्ध सभी पत्र-व्यवहार अवर सचिव (एस ओ, एल डी सी ई) संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069 को भेजे जाएं तथा उनमें नीचे लिखा ब्यौरा अनिवार्य रुप से दिया जाए:

(1) परीक्षा का नाम

(2) परीक्षा का महीना और वर्ष

(3) रजिस्ट्रेशन आई डी (आर आई डी)/जन्म तिथि/अनुक्रमांक, यदि आबंटित किया गया हो

(4) उम्मीदवार का नाम (पूरा तथा बड़े अक्षरों में), और

(5) आवेदन-पत्र में दिया गया पत्र-व्यवहार का पूरा पता

विशेष ध्यान दें:(1) जिन पत्रों आदि में यह ब्यौरा नहीं होगा उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

विशेष ध्यान दें: (2) परीक्षा समाप्त होने के बाद यदि उम्मीदवार से कोई पत्र/सूचना प्राप्त होती है और उनमें उसका पूरा नाम, अनुक्रमांक नहीं लिखा है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा ओर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

9. ***पते में परिवर्तन*** - उम्मीदवार को इस बात की व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि उसके आवेदन प्रपत्र में उल्लिखित पते पर भेजे गए पत्र आदि, आवश्यक होने पर, उसके बदले हुए पते पर मिल जाया करें। पते में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर आयोग को उसकी सूचना तुरंत दी जाए । यद्यपि आयोग ऐसे परिवर्तनों पर ध्यान देने का पूरा-पूरा प्रयत्न करता है फिर भी इस विषय में वह किसी प्रकार की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर सकता।

<u>कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग</u>

<u>नई दिल्ली, दिनांक 21जुलाई, 2015</u>

<u>नियमावली</u>

सं.6/1/2015-सीएस I(पी) – निम्नलिखित सेवाओं के अनुभाग अधिकारी ग्रेड और आशुलिपिक (ग्रेड 'ख'/ग्रेड-I) की चयन सूचियों में सम्मिलित करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2015 के लिए आयोजित की जाने वाली सम्मिलित सीमित अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड'ख'/ग्रेड-I) विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के नियम संबंधित मंत्रालयों की सहमति से सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं ।

वर्ग I

केन्द्रीय सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड

वर्ग II

भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' के सामान्य संवर्ग का अनुभाग अधिकारी ग्रेड (समेकित ग्रेड II और III)

वर्ग III

रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड

वर्ग IV

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का निजी सचिव ग्रेड

वर्ग V

भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' के आशुलिपिक संवर्ग का ग्रेड-I

वर्ग VI

सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा का विलयित ग्रेड 'क' तथा 'ख'

वर्ग VII

रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ख'

वर्ग VIII

आसूचना ब्यूरो का अनुभाग अधिकारी ग्रेड

वर्ग IX

कर्मचारी राज्य बीमा निगम में निजी सचिव ग्रेड

1. प्रत्येक ग्रेड की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए चयन किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में निर्दिष्ट की जाएगी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए पद सरकार द्वारा निश्चित रिक्तियों को देखते हुए आरक्षित रखे जाएंगे।

2. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट में निर्धारित ढंग से ली जाएगी।

परीक्षा की तारीख और स्थान का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा।

3. नीचे कालम 1 में उल्लिखित ग्रेड ओर सेवाओं के स्थायी अथवा नियमित रुप से नियुक्त अस्थायी अधिकारी जो संबद्ध वर्ष की पहली जुलाई को कालम 2 में उल्लिखित सेवा की अवधि और शैक्षिक योग्यता, आदि से संबंधित शर्तें पूरी करते हैं, कालम 3 में उल्लिखित सेवा के वर्ग के लिए परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

<u>**पात्रता निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि**</u>

1 जुलाई, 2015 — 2015 की परीक्षा के लिए

कालम 1	**कालम 2**	**कालम 3**
केन्द्रीय सचिवालय सेवा का सहायक ग्रेड और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का वैयक्तिक सहायक ग्रेड (आशुलिपिक ग्रेड 'ग')	केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के वैयक्तिक सहायक ग्रेड में पांच वर्ष से कम की अनुमोदित सेवा न हो तथा कम से कम चार वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त की हो। केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) के वैयक्तिक सहायक के पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री या समकक्ष हो।	**वर्ग I**
भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' सामान्य संवर्ग का ग्रेड-IV, आशुलिपिक संवर्ग का ग्रेड-II और साईफर उप संवर्ग का ग्रेड-II	भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' के सामान्य संवर्ग के ग्रेड-IV में अथवा आशुलिपिक संवर्ग के ग्रेड-II अथवा साइफर उप संवर्ग के ग्रेड-II में अथवा ऊपर के दोनों में या सभी ग्रेडों में, जैसी भी स्थिति हो, अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	**वर्ग II**
रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा का सहायक ग्रेड और रेलवे बोर्ड	रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा	**वर्ग-III**

सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ग'	के ग्रेड-II/ग्रेड 'ग' में अथवा दोनों में, जैसी भी स्थिति हो, अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	
केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का वैयक्तिक सहायक	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के वैयक्तिक सहायक ग्रेड में अनुमोदित तथा लगातार सेवा 3 वर्ष से कम न हो तथा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता प्राप्त हो।	**वर्ग-IV**
भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' के आशुलिपिक संवर्ग का ग्रेड-II	भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' के आशुलिपिक संवर्ग के ग्रेड-II में अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	**वर्ग-V**
सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ग'	सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-II/ग्रेड 'ग' में अनुमोदित तथा लगातार सेवा 3 वर्ष से कम न हो।	**वर्ग-VI**
रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ग'	रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-II/ग्रेड 'ग' में अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	**वर्ग-VII**
आसूचना ब्यूरो का सहायक ग्रेड/आसूचना ब्यूरो की आशुलिपिक सेवा ग्रेड-II	प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर अथवा एलडीसीई आधार पर, जैसी भी स्थिति हो अनुमोदित तथा लगातार सेवा 4 वर्ष से कम न हो बशर्ते परीक्षा का आयोजन निर्णायक तारीख से 5 वर्ष पूर्व न हुआ हो अथवा निर्णायक तारीख को अपने संबद्ध फीडर ग्रेड में वरिष्ठता के आधार पर ग्रेड में नियुक्त अधिकारियों के मामले में अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	**वर्ग-VIII**
कर्मचारी राज्य बीमा निगम में निजी सचिव	कर्मचारी राज्य बीमा निगम में वैयक्तिक सहायक ग्रेड में अनुमोदित तथा लगातार सेवा 3 वर्ष से कम न हो।	**वर्ग-IX**

किन्तु शर्त यह है कि किसी प्रतियोगी परीक्षा, जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा

शामिल है, के परिणामों के आधार पर यदि कोई उम्मीदवार (वर्ग-I परीक्षा तथा वर्ग-IV में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवार को छोड़कर) उपरोक्त कालम 1 में उल्लिखित ग्रेडों में नियुक्त हो गया है, ऐसी परीक्षा निर्णायक तारीख से कम से कम 5 वर्ष पहले हो गई हो और उस ग्रेड में उसने निर्णायक तारीख तक कम से कम 4 वर्ष की अनुमोदित तथा लगातार सेवा कर ली है।

किन्तु शर्त यह है कि किसी प्रतियोगी परीक्षा, जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा शामिल है, के परिणामों के आधार पर यदि कोई वर्ग-IV और वर्ग-IX की परीक्षा में सम्मिलित होने वाला उम्मीदवार उपरोक्त कालम 1 में उल्लिखित ग्रेड में नियुक्त हो गया है, ऐसी परीक्षा निर्णायक तारीख से कम से कम 3 वर्ष पहले हो गई हो और उस ग्रेड में उसने निर्णायक तारीखों की कम से कम 2 वर्ष की अनुमोदित तथा लगातार सेवा कर ली है।

टिप्पणी 1 : ऊपर के कालम 1 में उल्लिखित ग्रेडों ओर सेवाओं के वे स्थायी अथवा नियमित रुप में नियुक्त अधिकारी जो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियत अवधि के लिए संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं, यदि अन्यथा पात्र हों, तो इस परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र होंगे और प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान उनके द्वारा की गई सेवा कालम 2 में उल्लिखित सेवा अवधि के लिए अर्हक होगी।

परन्तु यह कालम 1 में उल्लिखित ग्रेडों तथा सेवाओं के उन अधिकारियों पर लागू नहीं होता है जिन्हें संवर्ग बाह्य पद पर अथवा अन्य सेवा में "स्थानान्तरण" पर नियुक्त किया गया हो और जो कालम 1 में संदर्भित ग्रेडों तथा सेवाओं में कोई पुनर्ग्रहणाधिकार नहीं रखते हैं।

टिप्पणी 2 : केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक जिन्होंने भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' में नियुक्ति के लिए विकल्प दिया हो और ऐसे विकल्प के अनुसरण में उस सेवा के किसी ग्रेड में नियुक्त कर लिए गए हों, वे वर्ग- I और वर्ग- IV के लिए परीक्षा में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी 3: केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक तथा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक जो भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' में प्रतिनियुक्ति पर हैं वे वर्ग-II और वर्ग-V के लिए परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र नहीं होंगे।

4. जो उम्मीदवार दोनों वर्गों के लिए प्रतियोगिता में सम्मिलित होने का पात्र है तथा वह इस विकल्प का इस्तेमाल करता है तब उसे अपने आवेदन में उस वर्ग का वरीयतावार स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए जिसके लिए वह पात्र है और विचार किए जाने का इच्छुक है। <u>आयोग, आवेदक द्वारा पहले से प्रस्तुत वरीयता में किसी प्रकार का परिवर्तन/जोड/बदलाव करने संबंधी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा</u>। उम्मीदवार वर्ग संख्या का चयन सावधानी से करें क्योंकि <u>संशोधन/गलत संयोजन पर विचार नहीं किया जाएगा/अनुमति नहीं होगी और उम्मीदवारी तत्काल निरस्त कर दी जाएगी</u>। यह भी नोट करें कि किसी वर्ग के लिए किसी उम्मीदवार पर विचार नहीं किया जाएगा यदि उसने अपने आवेदन पत्र में साफ-साफ इसका चयन नहीं किया है।

5. किसी भी उम्मीदवार का आवदेन स्वीकार करने तथा परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

6. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र न हो।

7. जो उम्मीदवार निम्नलिखित के लिए दोषी हैं अथवा आयोग द्वारा दोषी घोषित किया गया है:-

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रुप से कार्य कराया है, अथवा

(iv) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए, किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, अथवा

(viii) उत्तर पुस्तिका (पुस्तिकाओं) पर असंगत बातें लिखी हों, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, अथवा

(ix) परीक्षा भवन में किसी अन्य प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, अथवा

(x) परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, अथवा

(xi) परीक्षा के दौरान कोई मोबाइल फोन, पेजर या किसी अन्य प्रकार के इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यंत्रों अथवा संचार यंत्र के रुप में प्रयोग किए जा सकने वाले कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, अथवा

(xii) उम्मीदवार को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए जारी प्रवेश प्रमाण-पत्र के साथ जारी किसी अनुदेश का उल्लंघन किया हो, अथवा

(xiii) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा कोई भी कार्य किया हो अथवा करने का प्रयास किया हो, उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता है, और

उसके साथ ही उसे:-

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, और/या

(ख) उसे स्थायी रुप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए:-

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन से

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और

(ग) उसके विरूद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक:-

(i) उम्मीदवार को भी इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और

(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न किया गया हो।

8. (i) परीक्षा के बाद, उम्मीदवारों की पात्रता की शर्त पर वर्ष, 2015 के लिए रिक्ति पर विचार किया जाएगा बशर्ते वे पात्र हों और प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गए कुल अंतिम औसत अंकों के प्रकटन के अनुसार योग्यता सूची आयोग द्वारा तैयार की जाएगी बशर्ते वे आयोग द्वारा निर्धारित परीक्षा के प्रत्येक पेपर/भाग के स्तरों के अर्हता प्राप्त करते हों।

आयोग के पास परीक्षा के किसी या सभी स्तर (स्तरों) या पेपर (पेपरों) के लिए न्यूनतम अर्हक मानदण्ड निर्धारित करने का अधिकार है।

जहां उम्मीदवार औसत मेरिट के आधार पर एक से अधिक वर्ग में अन्यथा पात्र हों, कतिपय चयन सूची में उन्हें शामिल किया जाना उपयुक्त समय पर उम्मीदवार द्वारा चुने गए विकल्प के आधार पर उपलब्ध वर्ग पर निर्भर करेगा। अत:, उसके योग्यताक्रम के आधार पर, तथा रिक्ति तथा पात्रता की अन्य शर्तों के अध्यधीन उम्मीदवार की वरीयता को ध्यान में रखते हुए उसे उपयुक्त चयन सूची में रखा जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार का नाम किसी विशिष्ट वर्ग के लिए चयन सूची में शामिल किया जाता है, तो उनकी बाद की वरीयताओं के आधार पर अन्य सूची (सूचियों) में शामिल करने हेतु उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा।

वर्ग-वार योग्यताक्रम सूचियां रिक्तियों की संख्या, उम्मीदवार का योग्यताक्रम, उम्मीदवार द्वारा दर्शाई गई वरीयता तथा अन्य पात्रता शर्तों, यदि कोई हों, के आधार पर तैयार की जाएंगी।

(ii) किसी भी अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक आयोग द्वारा मानक में छूट देकर सिफारिश की जा सकती है बशर्ते ये उम्मीदवार प्रत्येक वर्ग की चयन सूची में शामिल किए

जाने के लिए उपयुक्त हों चाहे परीक्षा के योग्यताक्रम में उनका कोई भी स्थान क्यों न हो।

परन्तु अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के जिन उम्मीदवारों की अनुशंसा आयोग द्वारा परीक्षा के किसी भी चरण में अर्हता या चयन मापदंडों में रियायत/छूट दिए बिना की जाती है, उनका समायोजन अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों में नहीं किया जाएगा।

नोट:- उम्मीदवारों को यह स्पष्ट रुप से समझ लेना चाहिए कि यह एक प्रतियोगिता परीक्षा है, न कि अर्हक परीक्षा। परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रत्येक चयन सूची में शामिल किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या नियत करने के लिए सरकार पूरी तरह से सक्षम है। अतः कोई भी उम्मीदवार इस परीक्षा में अपने निष्पादन के आधार पर चयन सूची में शामिल किए जाने के लिए अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकेगा।

9. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार किया जाएगा । आयोग परीक्षाफल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नहीं करेगा।

10. परीक्षा में पास हो जाने मात्र से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार सेवा में कार्य संचालन की दृष्टि से चयन के लिए हर प्रकार से पात्र और योग्य है।

परन्तु आयोग द्वारा चयन के लिए अनुशंसित किए गए किसी उम्मीदवार को चयन के लिए अपात्र मानने के बारे में निर्णय आयोग के साथ परामर्श करके किया जाएगा।

11. यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने के बाद अथवा परीक्षा में बैठने के बाद अपनी नियुक्ति से त्यागपत्र दे देता है अथवा किसी और कारण से सेवा छोड़ देता है अथवा उससे सम्बन्ध-विच्छेद कर लेता है, अथवा उसकी सेवा उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी जाती है अथवा उसे किसी संवर्ग बाह्य पद पर अथवा अन्य सेवा में 'स्थानान्तरण' पद पर नियुक्त कर दिया जाता है और केन्द्रीय सचिवालय सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा/आसूचना ब्यूरो/सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के सहायक ग्रेड अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड 'ग'/आसूचना ब्यूरो आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-II अथवा भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' में किसी पद पर उसका अपना पुनर्ग्रहण अधिकार नहीं है तो वो इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यह बात उस व्यक्ति के मामले में लागू नहीं होती जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर दिया गया है।

(अर्चना वर्मा)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

परिशिष्ट

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार ली जाएगी:-

भाग I

(क) नीचे पैरा 2 में दिए गए विषयों में अधिकतम 500 अंकों की लिखित परीक्षा।

(ख) हिन्दी या अंग्रेजी में 100 शब्द प्रति मिनट की एक अर्हक आशुलिपिक परीक्षा।

टिप्पणी I - वर्ग IV, V, VI, VII और IX हेतु प्रतियोगिता में सम्मिलित होने वाले सभी उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के समय अर्हक आशुलिपि परीक्षण देना होगा। तथापि, जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा के साथ-साथ आशुलिपिक परीक्षण में भी अर्हता प्राप्त कर लेते हैं केवल उन्हीं उम्मीदवारों के सेवा रिकार्ड का मूल्यांकन किया जाएगा।

टिप्पणी II - उम्मीदवारों को आयोग द्वारा परीक्षा केन्द्र पर मुहैया कराए गए कम्प्यूटरों (पीसी) पर अपनी आशुलिपि टिप्पणियों का लिप्यंतरण करना होगा।

भाग II

उन उम्मीदवारों के सेवा अभिलेख का अधिकतम 100 अंकों का मूल्यांकन किया जाएगा:-

(i) जिन्होंने लिखित परीक्षा में, आयोग द्वारा अपने विवेक से निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त किए हैं (वर्ग I, II, III और VIII के लिए) और

(ii) जिन्होंने लिखित परीक्षा तथा आशुलिपि परीक्षण में आयोग द्वारा अपने विवेक से निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त किए हैं (वर्ग IV, V, VI, VII और IX के लिए)।

टिप्पणी I: सेवा अभिलेख के मूल्यांकन में अर्जित अंकों की गणना रैंक निर्धारण हेतु की जाएगी।

टिप्पणी II: सेवा अभिलेख के मूल्यांकन में न्यूनतम 40% (चालीस प्रतिशत) अंक होने चाहिए। इसलिए, सेवा अभिलेख के मूल्यांकन में 40% (चालीस प्रतिशत) से कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के नाम पर रैंक निर्धारण हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

2. सेवा के विभिन्न वर्गों के प्रतियोगी उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषयों की लिखित परीक्षा में बैठना होगा:-

पेपर संख्या	विषय	पेपर का प्रकार	अधिकतम अंक	अवधि

1.	भारत के संविधान और सरकारी तंत्र, संसद की परिपाटी और कार्य का सामान्य अध्ययन और सामान्य जानकारी तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का ज्ञान	वस्तुनिष्ठ	150	2 घंटे
2.	सेवा की संगत श्रेणियों की आवश्कता को विधिवत ध्यान में रखते हुए भारत सरकार सचिवालय और संबद्ध कार्यालयों में प्रक्रिया और परिपाटी तथा सामान्य वित्तीय एवं सेवा नियमावली	वस्तुनिष्ठ	150	2 घंटे
3.	टिप्पण एवं प्रारूपण, सार लेखन	विस्तृत	200	3 घंटे
	सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन		100	

कुल अंक - 600

3. <u>गलत उत्तरों के लिए शास्ति (वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों में)</u>

वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार द्वारा अंकित किए गए गलत उत्तरों के लिए शास्ति (ऋणकारात्मक अंकन) लगाई जाएगी।

(i) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प होंगे। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए गलत उत्तर दिए जाने पर उस प्रश्न के लिए निर्दिष्ट अकों में से एक तिहाई (0.33) अंकों की कटौती की जाएगी।

(ii) यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रश्न के एक से ज्यादा उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा चाहे दिए गए उत्तरों मे से एक सही भी हो तथा उस प्रश्न के लिए भी उपर्युक्त शास्ति होगी।

(iii) यदि कोई प्रश्न को खाली छोड़ दिया जाता है, अर्थात् उम्मीदवार द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई शास्ति नहीं लगाई जाएगी।

4. परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम, अनुसूची में दर्शाए जाएंगे।

5. उम्मीदवारों को टिप्पण एवं प्रारूपण और सार लेखन का उत्तर हिंदी (देवनागरी) या अंग्रेजी में देने का विकल्प होगा। सभी तीनों प्रश्नपत्र/परीक्षण पुस्तिकाएं अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों में होगी।

टिप्पणी 1:- टिप्पण एव प्रारूपण तथा सार लेखन पेपर के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में देने के विकल्प का उपयोग करने वाले उम्मीदवारों को अपने इस इरादे का उल्लेख ऑनलाइन आवेदन के संगत कालम में स्पष्ट रूप से करना चाहिए, नहीं तो यह समझा जाएगा कि वे उपर्युक्त प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में ही देंगे। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम माना जाएगा और उक्त कालम में परिवर्तन करने के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी 2:- प्रश्न पत्र के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में लिखने वाले उम्मीदवार, यदि चाहें तो, हिन्दी की शब्दावली, यदि कोई हो, के साथ तकनीकी शब्दों के अंग्रेजी पर्याय भी कोष्ठक में दे सकते हैं।

टिप्पणी 3:- यदि उम्मीदवार द्वारा आवेदन प्रपत्र में निर्दिष्ट किए गए माध्यम से इतर माध्यम का परीक्षा में उत्तर लिखने में प्रयोग किया जाता है तो ऐसे उम्मीदवारों के प्रश्न पत्र का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

6. अंग्रेजी/हिन्दी की आशुलिपि परीक्षा में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट का श्रुतलेख शामिल है जिसे उम्मीदवारों को 40/55 मिनट में लिप्यंतर करना होगा।

7. उम्मीदवारों को प्रश्न पत्रों के उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे । उन्हें किसी भी हालत में उनकी ओर से उत्तर लिखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों का सभी तीन पेपरों में सम्मिलित होना आवश्यक है। आयोग अपने विवेक से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंकन निर्धारित कर सकता है।

9. केवल सतही ज्ञान के लिए नम्बर नहीं दिए जाएंगे ।

10. लिखित विषयों में अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत तक अंक अस्पष्ट लिखावट के लिए काट लिए जाएंगे।

11. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात को श्रेय दिया जाएगा कि अभिव्यक्ति क्रमबद्ध, प्रभावपूर्ण ढंग से और कम से कम शब्दों में ठीक ठीक की गई हो।

12. उम्मीदवार को पेपर-III के उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि) का ही प्रयोग करना चाहिए ।

अनुसूची

परीक्षा का पाठयक्रम

जहां नियमों, आदेशों, अनुदेशों आदि का ज्ञान अपेक्षित है, उम्मीदवारों से यह आशा की जाएगी कि वे इस परीक्षा की अधिसूचना की तारीख तक जारी किए गए संशोधनों की जानकारी रखें।

पेपर – I

पेपर में आजकल की रूचि और महत्व के विषय शामिल किए जाएंगे। प्रश्नों में पंचवर्षीय योजनाओं की प्रमुख विशेषताओं, भारतीय अर्थ-व्यवस्था और प्रमुख विकासात्मक योजनाओं के साथ-साथ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही प्रकार की मौजूदा घटनाओं के प्रति अभिज्ञ जागरूकता की भी जांच शामिल होगी।

निम्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी की भी अपेक्षा है :

(i) भारतीय संविधान के सिद्धांत

(ii) लोक सभा और राज्य सभा की प्रक्रिया और कार्यवाही की नियमावली।

(iii) भारत सरकार के तंत्र का संगठन, मंत्रालयों, विभागों और संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पदनामों और विषयों का आंबटन तथा उनके बीच पारस्परिक संबंध।

(iv) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

<u>पेपर – II</u>

इस पेपर का उद्देश्य है भारत सरकार के सचिवालय तथा संबद्ध कार्यालयों में कार्यविधि तथा कार्य प्रणाली का गहन तथा विस्तृत परीक्षण लेना। सामान्य वित्तीय और सेवा नियमावली अर्थात् आचरण नियमावली, अवकाश नियमावली, यात्रा भत्ता नियमावली आदि के विस्तृत ज्ञान की जांच की जाएगी। संदर्भ पुस्तिकाओं की सूची (जो संपूर्ण नहीं है) की अनुशंसा की जाती है।

(वर्ग I, IV, VIII और IX के लिए)

1. कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका (नया संस्करण)

2. कार्यालय पद्धति पर सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी की गई टिप्पणियां।

3. संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेशों की पुस्तिका (केवल वर्ग I और IV के लिए)

4. मूल तथा अनुपूरक नियम (ए.जी.पी. एण्ड टी. संकलन, चौधरी संकलन, स्वामी संकलन)

5. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली

6. केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली

7. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली

8. केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली

9. सामान्य वित्तीय नियम संकलन (संशोधित तथा बृहत) नियमावली

10. वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजन नियमावली

11. आसूचना ब्यूरो स्थायी आदेश (केवल वर्ग VIII के लिए)

(वर्ग II और V के लिए)

1. कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका (नया संस्करण)

2. कार्यालय पद्धति पर सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी की गई टिप्पणियां।

3. संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेशों की पुस्तिका

4. मूल तथा अनुपूरक नियम (ए.जी.पी. एण्ड टी. संकलन, चौधरी संकलन स्वामी संकलन)

5. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली

6. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली

7. सामान्य वित्तीय नियम संकलन (संशोधित तथा बृहत) नियमावली

8. वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजन नियमावली

9. भारतीय विदेश सेवा (पी एल सी ए) नियमावली

10. भारत सरकार के विदेश स्थित प्रतिनिधियों के वित्तीय अधिकार

11. सहयोग प्राप्त चिकित्सा परिचर्या योजना।

12. भारतीय विदेश सेवा (आचरण एवं अनुशासन) नियमावली

(वर्ग III और VII के लिए)

1. रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा जारी कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका

2. संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेशों की पुस्तिका

3. भारतीय रेल प्रशासन तथा वित्त (अध्याय V, VI, VIII तथा IX को छोड़कर)

4. भारतीय रेल वित्तीय कोड खंड I (अध्याय II तथा VI को छोड़कर)

5. भारतीय रेल स्थापना कोड खंड-I

6. रेल सेवा (आचरण) नियमावली, 1966

7. रेल कर्मचारी (अनुशासन तथा अपील) नियमावली, 1968

(वर्ग VI के लिए)

1. कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका (नया संस्करण)

2. कार्यालय पद्धति पर सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी की गई टिप्पणियां।

3. संघ के सरकारी काम काज में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेशों की पुस्तिका

4. मूल तथा अनुपूरक नियम (ए.जी.पी. एण्ड टी. संकलन, चौधरी संकलन स्वामी संकलन)

5. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली

6. केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली

7. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली

8. केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली

9. वित्तीय विनियम भाग-I (संशोधित संस्करण)

पेपर - III

उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे विशिष्ट समस्याओं पर टिप्पण और प्रारूपण तथा अवतरण से संक्षेपण तैयार करें ।